कार्यालय प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान केन्द्र मझेडा, पो0 गरमपानी, जिला नैनीताल

पत्रॉक अ0के0म0 / 202 दिनॉकः 01 फरवरी, 2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, मझेड़ा पर उपलब्ध 11 यूकेलिप्टस के वृक्षों की खुली बोली नीलामी के माध्यम से दिनॉक 5 मार्च, 2021 को पूर्वान्ह 11.30 बजे से प्रारम्भ होगी । इच्छुक क्रेताओं से अनुरोध है कि नीलामी में सम्मिलित होने से पूर्व केन्द्र में बिक्री हेतु उपलब्ध 11 यूकेलिप्टस के वृक्षों का निरीक्षण कर लें, जिसे किसी भी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है, बाद में किसी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा ।

नियम व शर्तें

1. नीलामी में इच्छुक व्यक्ति / ठेकेदार दिनॉक 5 मार्च 2021 को पूर्वान्ह 11.30 बजे अनुसंधान केन्द्र मझेडा पर रू0 5000.00 नकद जमा कर खुली बोली/नीलामी में भाग ले सकते हैं ।
2. उक्त 11 यूकेलिप्टस के वृक्षों की जहॉ है जैसा है के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षों की गुणवत्ता का कोई दायित्व अनुसंधान केन्द्र मझेडा का नहीं होगा । अतः बोली दाता खुली बोली/नीलामी से पूर्व मौके पर वृक्षों का भली भॉति निरीक्षण स्वयं कर लें। नीलामी हो जाने के उपरान्त वृक्षों में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी एवं वृक्षों की संख्या घटाई भी जा सकती है ।
3. उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष बोलीदाताओं को बोली समाप्त होने के पश्चात उनकी जमानत राशि रू0 5000.00 वापस कर दी जायेगी ।
4. उच्चतम बोली दाता को उच्चतम बोली की समस्त धनराशि का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि के रूप में अपने स्वयं के खाते से नकद/बैंक ड्राप्ट जो कि प्रभारी अधिकारी अनुसंधान केन्द्र मझेडा के नाम भारतीय स्टेट बैंक खैरना धनियॉकोट के माध्यम से तुरन्त जमा करनी होगी शेष राशि पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी,, जिसमें पूर्व में जमा जमानति राशि का समायोजन कर लिया जायेगा । यदि उच्चतम बोली दाता शेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो खुली बोली नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 5000.00 सहित सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर नीलामी निरस्त कर दी जायेगा ।
5. सफल क्रेता को बिक्री स्वीकृत के होने के 15 दिन में अपने खर्च पर रू0 100.00 के नॉनजूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर केन्द्र के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा ।
6. वृक्षों के विक्रय मूल्य पर निर्धारित नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभाग में पूर्ण दर पर जमा करना होगा । तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद अनुसंधान केन्द्र मझेडा में मूल रूप में जमा करनी होगी, यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात ही माल निकासी की अनुमति दी जायेगी ।
7. विश्वविद्यालय / अनुसंधान केन्द मझेडा के नियमित कर्मचारियेां/अधिकारी उनके परिवार के सदस्य जैसे पत्नी, बेटा, बेटी अथवा बहु नीलामी में भाग नहीं लेंगे ।

8. वृक्षों की निकासी से पूर्व केता को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई शुल्क आदि की धनराशि केता को स्वयं जमा करनी होगी ।

9. केता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक केन्द्र की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने/असामाजिक कार्य करने एवं किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मदारी केता की होगी ।

10. अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये नीलामी को निरस्त कर सकता है।

11. केता द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

12. इस विक्रय के लिये अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिये कुलपति गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौ0वि0वि0 पन्तनगर सोल आर्विट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

13. बिक्री स्वीकृत पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर वृक्षों की कटाई/ढुलाई आवश्यक होगी, अन्यथा प्रतिदिन की दर से रू0 100.00 विलम्ब का शुल्क जमा करना होगा । विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात बिक्री निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी अनुसंधान केन्द, मझेडा को होगा ।

14. केता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारियों का परिचय पत्र प्रभारी अधिकारी अनुसंधान केन्द्र मझेडा से बनवाना होगा । ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को केन्द्र परिसर में अवॉछित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा ।

15. बिक्री की स्वीकृति के उपरान्त केता को कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

16. केता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व पैन कार्ड/आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छाया प्रति कार्यालय में जमा करनी आवश्यक होगी ।

17. नीलामी के बाद किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

01.2.21.

प्रभारी अधिकारी
अनुसंधान केन्द्र, मझेडा

प्रतिलिपिः— 1. सभी सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा हेतु ।

2. निदेशक अनुसंधान केन्द्र को सूचनार्थ ।